

**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता  
सिंचाई निर्माण मण्डल, महोबा**

**कोटेशन सूचना संख्या-01/अधी0अभि0/2017-18**

महामहिम राज्यपाल महोदय, उ०प्र० की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु मोहरबंद कोटेशन जनपद महोबा की सिंचाई विभाग की संचालित परियोजनाओं हेतु रजिस्टर्ड मूल सीमेन्ट निर्माताओं से कार्यालय मौदहा बांध निर्माण खण्ड-प्रथम, महोबा में दिनांक 28-07-2017 अपराह्न 3:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। जो गठित समिति के समक्ष उसी दिवस दिनांक 28-07-2017 को सायं 4:00 बजे खोलकर तुलनात्मक विवरण पर अंकित करने हेतु बोली जायेगी। कार्यालय बंद होने अथवा छुट्टी होने की दशा में यह कोटेशन अगले कार्यदिवस में उसी समय खोला जायेगा।

क्र० सं०	विवरण	अनुमानित मात्रा (बैग)	कार्य की अवधि	धरोहर धनराशि (रूपये में)	अधिकृत श्रेणी
1	मौदहा बांध निर्माण खण्ड-प्रथम, महोबा में निम्नलिखित मानकों के अनुसार आर्डिनरी पोर्टलेण्ड सीमेन्ट की आपूर्ति जिसमें समस्त टैक्स जैसे व्यापारकर, एक्साइज ड्यूटी, प्रवेशकर, जी०एस०टी० आदि तथा रेलभाड़ा लोडिंग, अनलोडिंग एवं भण्डार में स्टैकिंग तथा सीमेन्ट की कीमत शामिल है। दरें फार्म-31 फार्म-डी० के विरुद्ध अंकित करें। आई०एस०कोड-8112/89 मानकों के अनुसार 43 ग्रेड आर्डिनरी पोर्टलेण्ड सीमेन्ट।				मूल निर्माता कम्पनी
(अ)	चौधरी चरण सिंह लहचूरा बांध स्थल पर स्थित भण्डार गृह में 43 ग्रेड ओ०पी०सी० सीमेन्ट की आपूर्ति।	20000	1 माह आपूर्ति आदेश जारी होने के पश्चात	135000/-	
(ब)	भरवारा स्थित भण्डार गृह में 43 ग्रेड ओ०पी०सी० सीमेन्ट की आपूर्ति।	40000	---तदैव---	270000/-	
(स)	कबरई बांध स्थल पर स्थित भण्डार गृह में 43 ग्रेड ओ०पी०सी० सीमेन्ट की आपूर्ति।	20000	---तदैव---	135000/-	

**नियम व शर्तें-**

- 1- कोटेशन डालने का अधिकार ISO सर्टीफाइड मूल निर्माताओं को ही होगा तथा मूल निर्माताओं के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा दिया गया कोटेशन मान्य नहीं होगा।
- 2- निर्माता कम्पनी को सीमेन्ट का टेस्ट सर्टीफिकेट कोटेशन के साथ जमा करना होगा।
- 3- डैमेज/आंशिक सेट सीमेन्ट की आपूर्ति नहीं ली जायेगी, यदि किसी दशा में साइड पर पहुँच जाती है या लैब में टेस्ट करने पर डैमेज/आंशिक सेट पायी जाती है तो फर्म को उक्त सीमेन्ट को अपने खर्च पर हटाना होगा।
- 4- कम्पनी का अधिकृत व्यक्ति जो कि कोटेशन डाक्यूमेन्ट्स पर हस्ताक्षर करेगा एवं कोटेशन खोलने में भाग लेगा कम्पनी द्वारा जारी Authorisation letter from the competent authorities of the company कोटेशन के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5- Company shall have a valid cement manufacturing license.

- 6- Company must attach balance sheets of the previous three year with Quotation documents.
- 7- The company shall have G.S.T., TIN and PAN number.
- 8- The company shall have experience of more than three year of manufacture/supply of cement.
- 9- कम्पनी द्वारा दी जाने वाली दरों में सीमेन्ट का मूल्य, ट्रान्सपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग और स्टैकिंग तथा अन्य समस्त देय कर शामिल होगा।
- 10- अधोहस्ताक्षरी द्वारा सीमेन्ट की आपूर्ति आवश्यकतानुसार ली जायेगी, जो कि माह अक्टूबर 2017 से माह मार्च 2018 तक प्रस्तावित है। कोटेशन में दी गयी मात्रा अनुमानित है, जो किसी भी स्तर तक घट व बढ़ सकती है।
- 11- अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी कोटेशन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 12- कोटेशन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
- 13- कोटेशन में दी जाने वाली दर को शब्दों तथा अंकों में लिखना अनिवार्य होगा एवं अंकों एवं शब्दों में दी गयी दर में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित दर को ही स्वीकार किया जायेगा।
- 14- कोटेशन में किसी प्रकार संशोधन/ओवरराइटिंग होने पर कोटेशनदाता को उक्त स्थान पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
- 15- निर्धारित समय पर आपूर्ति न किये जाने पर 0.5 प्रतिशत Value of supply order की कटौती की जायेगी।
- 16- वांछित मानकों से भिन्न यदि आपूर्ति की जाती है तो उसको स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 17- सीमेन्ट आपूर्ति अवधि में दरों में बढ़ोत्तरी मान्य नहीं होगी।
- 18- कोटेशन में दरें अंकित करने से पहले निर्माताओं को स्टोर(भण्डार गृह) तथा दूरी का परीक्षण कर लेना चाहिये बाद में कोई दर/क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 19- कोटेशन धनावंटन की प्रत्याशा में आमंत्रित किये गये हैं। विभागीय परियोजना भण्डार से सम्यक आपूर्ति न होने की दशा में आवश्यकतानुसार समय समय पर सीमेन्ट क्रय की जायेगी।
- 20- सशर्त कोटेशन/निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 21- कोटेशन के साथ धरोहर धनराशि लगाना अनिवार्य है। धरोहर धनराशि केवल राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0/बैंक गारन्टी तथा डाकखाने की पासबुक जो अधिशासी अभियन्ता, मौदहा बांध निर्माण खण्ड-प्रथम, महोबा के नाम बंधक होगी। उसे ही धरोहर धनराशि के रूप में माना जायेगा। बिना धरोहर धनराशि के कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

**अधीक्षण अभियन्ता**  
**सिंचाई निर्माण मण्डल, महोबा**